न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 68/2016

पृथ्वीराम पुत्र सहीराम जाति नाई निवासी 1 केपीडी (बी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

---- **अपीलार्थी**

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र सहीराम जाति नाई निवासी 1 केपीडी (बी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घड़साना।

----**रेस्पोडेन्टान**

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी घड़साना

दिनांक 24.02.2016

उपस्थितिः–

श्री इन्द्रजीत गोदारा अभिभाषक अपीलांट।

श्री मोहनलाल बाना अभिभाषक रेस्पो.।

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय **दिनांकः 13.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रा.पत्र उपखंड अधिकारी घड़साना के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251(क) के तहत पेश कर कथन किया कि उसकी चक 1 के पी डी बी के प.न. 156/34 मु.न. 38 में कि.न. 7 से 14 की 1.686 है. भूमि है तथा कि.न. 7 में वह ढ़ानी बना कर रहता है। अप्रार्थी सं.1 के नाम उक्त मुरब्बा के कि.न. 1 से 7 की 1.687 है. भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 व भाई महेन्द्रकुमार ने अपनी भूमि का सहमति से बंटवारा कर सहमति से रास्ता छोड़ा था जो अप्रार्थी सं.1 ने अब प्रार्थी को यह कहकर आने जाने हेतु रोक दिया कि यह भूमि उसके नाम से है तथा कि.न. 4 में रास्ता में अप्रार्थी ने एक टॉयलेट (कुई) बना ली है जिसमें रास्ता अवरूद्ध हो गया है।

13/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी स.1 को कई बार कहां गया लेकिन रास्ता देने से इन्कार कर दिया । अतः निवेदन है कि कि.न. 6 व 7 में प्रत्येक में सवा 8 फुट रास्ता स्वीकृत किया जावें ।

अप्रार्थी ने जबाव प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि कि.न. 4 व 5 में रास्ता चालू है एवं इन्हीं किलों में रास्ता के बदले भूमि रास्ता स्वीकृत कराने का अधिकारी है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावें ।

सुनवाई करने के बाद अधी.न्यायालय ने दिनांक 24.02.2.16 को कि.न. 4 व 5 में रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये गये एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिलाने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधी.न्यायालय में कि.न. 6 व 7 में रास्ता की मांग की थी किन्तु अधी.न्यायालय ने 4 व 5 में रास्ता स्वीकृत कर दिया जबकि कि.न. 5 में कुई बनी हुई है जिसे हटाने के आदेश दिये है। जिससे अपीलांट को नुकसान होगा । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय ने जो रास्ता स्वीकृत किया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील का सार बिन्दु यह है कि अधी.न्यायालय द्वारा जहॉ रास्ता स्वीकृत किया है वहॉ रास्ते में कुई (शौचालय बना हुआ है) जबकि अपीलांट के कथनानुसार चक 1 के पी डी (बी) के प.न. 156/3 मु.न. 38 के कि.न. 6 में 0.013 है. 7 में 0.009 है. में रास्ता स्वीकृत किया जावें ।

पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि शौचालय का निर्माण पूर्व में हुआ है तथा रास्ता स्वीकृत बाद में तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तावित रास्ता, परीक्षण

13/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

का मोहताज होने से अपील अपीलांअ स्वीकार की जाकर अधी.न्यायालय का आदेश दिनांक 24.02.2016 निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि विवादित रास्ते में शौचालय व अपीलांट द्वारा प्रस्तावित रास्ते का परीक्षण सन्दर्भ कानूनो के परिप्रेक्ष्य में कर पुनः निर्णय पारित करें । पक्षकार अधी. न्यायालय में दिनांक 24.10.2017 को स्वयं उपस्थित रहें ।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर